

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 05.02.2026

नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये लेकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष शाहपुर के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 236/2025 व मु0अ0सं0 237/25 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि0 से संबंधित अभियुक्ता पार्वती उर्फ मुस्कान पुत्री स्व0 खिरोधन शर्मा निवासी जोगम थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया हाल पता कूड़ाघाट विशुनपुरा थाना एम्स जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन की भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में नौकरी लगवाने के नाम पर वादी से 7,46,000 रुपये की धनराशि ली गई तथा कूटरचित दस्तावेज व फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर धोखाधड़ी की गयी जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

पार्वती उर्फ मुस्कान पुत्री स्व0 खिरोधन शर्मा निवासी जोगम थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया हाल पता कूड़ाघाट विशुनपुरा थाना एम्स जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 236/2025 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि0 थाना शाहपुर गोरखपुर
मु0अ0सं0 237/25 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि0 थाना शाहपुर गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रभान सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 मधुरेश त्रिवेदी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 सत्यम सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
4. म0उ0नि0 दुर्गेश नंदिनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
5. म0का0 खुशबू थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।